न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 408/2022
पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

प्रार्थी – 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. श्री सगराम पुत्र मंगला कौम विश्नोई, निवासी सोनड़ी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
2. श्री हरीराम पुत्र मंगला कौम विश्नोई, निवासी सोनड़ी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण –प्रार्थी वकील – **पैराकार सरकार जरिए तहसीलदार सेड़वा**

विप्रार्थीगण संख्या 01 से 2 के वकील– **श्री दोषमोहम्मद**

निर्णय

दिनांक :– 24.12.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील सेड़वा के मौजा सेड़वा के राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 665/347 रकबा 15.1433 हैक्टेयर (93.10 बीघा) किस्म बारानी दोयम विप्रार्थी के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी नकल सवत् 2078 से संलग्न है। मौजा सेड़वा के खसरा संख्या 665/347 रकबा 15.1433 हैक्टैयर (93.10 बीघा) किस्म बा.दो. में से रकबा 05.00 बीघा भूमि पर विप्रार्थी द्वारा अवैध तरिके से भूमि पर दुकाने व टीनशेड का निर्माण कार्य किया जाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। जो नियम विरूद्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत खातेदार को कृषि भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु दी गयी है जबकि गैर कृषि कार्य से धारा 15 का उल्लघन हुआ है जिससे खातेदार बेदखल योग्य है। विप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ किसी प्रकार के सम्परिवर्तन के सम्बन्ध में साक्ष्य एवं सबूत प्रस्त नहीं किये है। उपरोक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत कार्रवाई हेतु राजस्व वाद न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत वाद विचाराधीन रहने के दौरान विप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को बेचान, हस्तान्तरण आदि के जरिये खुर्द–बुर्द करने की पूर्ण सम्भावना है। अतः माननीय न्यायालय में वाद के निर्णय तक ग्राम सेड़वा के खसरा संख्या 665/347 रकबा 05.00 बीघा पर अस्थायी निषेधज्ञा पारित कर मौका यथास्थिति बनाय रखने के आदेश फरमाने की इस्तदुआ की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

...कार सरकार उपस्थित। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगण वकील ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब विप्रार्थीगण संख्या 01 व 2 की और निम्नानुसार है– विप्रार्थीगण के द्वारा आवेदनग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है तथा न ही किसी प्रकार की कोई दुकानों का निर्माण करके व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही है। विप्रार्थीगण के द्वारा अपने पशुओं के लिए चारावाड़ा एवं घर का निर्माण किया जा रहा है विप्रार्थीगण के द्वारा आवेदनग्रस्त भुमि को अकृषि प्रयोजनार्थ में उपयोग लिए जाने का कथन मनगढन्त हैं। विप्रार्थीगण द्वारा भविष्य में अगर आवेदनग्रस्त भूमि पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुकानों का निर्माण कार्य करवाया जाता है तो वो भूमि संपरिवर्तन करने के बाद ही उक्त कार्य करेगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 में इस संबंध में किसी प्रकार का ज्ञान किए ही उक्त वाद प्रस्तुत किया हैं। विप्रार्थीगण ने भी कृषि भुमि सहकार्य के लिए अपना घर एवं पशुबाड़े इत्यादि बनाये जो अकृषि प्रयोजनार्थ की श्रेणी में नहीं आता है प्रार्थी का आवेदन काबिज खारिज योग्य है। विप्रार्थीगण के द्वारा किसी आवेदनग्रस्त भुमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग ही नहीं लिया तो साक्ष्य सबुत पेश करने की आवश्यकता नहीं है। हल्का पटवारी प्रार्थी का ही अधिनस्थ कर्मचारी है जिसने प्रार्थी के कहे अनुसार बिना मौका देखे ही अपनी मनमर्जी से मौका रिपोर्ट बनाई है। प्रार्थी के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175–177 को गलत तथ्यो के आधार पर तोड़–मरोड़कर उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थी का उक्त धारा में वाद अवश्य विचाराधीन हैं लेकिन उसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की कतई संभावना नहीं है। वादग्रस्त भुमि विप्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भुमि है जिसे वो आगे बेचान इत्यादि करने के लिए कानुनी रूप से स्वतंत्र हैं। विप्रार्थीगण के द्वारा स्वयं की भुमि को खुर्द–बुर्द करके स्वयं को नुकसान क्यों पहुंचायेगे। उक्त पद में वर्णित तथ्य हास्याप्रद है। प्रार्थी विप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र काबिजे खारिज योग्य है। इस संबंध में विप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने शपथ पत्र(ई–स्टाम्प सर्टिफिकेट नंबर IN-RJ44055228922305X Date 09 Dec 2025) पेश कर निवेदन किया कि हमारी संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा सेड़वा के खसरा संख्या 665/347 रकबा 15.1433 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि पर तहसीलदार द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा में अन्तर्गत धारा 175–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जो कि न्यायालय में दिनांक 02.12.2022 को दर्ज कर मुकदमा संख्या 408/2022 में दिनांक 02.12.2022 को स्थगन आदेश जारी किया गया। उक्त स्थगन से हमारे खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है तथा हमें केसीसी, कृषि विद्युत कनेक्शन, टयूबवैल, पानी के टांका आदि के निर्माण में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं किया गया है तथा कुछ कच्चे बाड़े

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

गए हैं, उनको हम हटा देंगे। उक्त भूमि पर मेरे द्वारा भविष्य में बिना भूमि संपरिवर्तन किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा तथा न ही उक्त भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग लिया जाएगा। न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली में मेरे द्वारा वादग्रस्त आराजी में बिना संपरिवर्तन/सक्षम अनुमति के किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो पुनः उक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र है।

पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध व संलग्न सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175–177 एवं 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों, विप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों तथा उनके शपथ पत्र में वर्णित कथनों के युक्तियुक्त अवलोकनोपरांत सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर विप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। जिसके आधार पर प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्ध लिए गए एकतरफा स्थगन आदेश की आड़ में विप्रार्थीगणों के खातेदारी व अन्य अधिकार प्रभावित होते है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्ध लिया गया एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी एकतरफा स्थगन आदेश 408/2022 दिनांक 02.12.2022 को उक्त तथ्यों व विवेचना के आलोक में निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न पेश हो। निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेडवा
(SDO) सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:02:42 IST
Reason: SelfAttested